महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 69वीं बैठक

दिनांक : 26.05.2010 **प्रातः 11:00 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 26.05.2010 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री एम..एल.पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3.	प्रो. के.सी.शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4.	प्रो. रमाकान्त, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6.	डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7.	श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
8.	श्री तपेश पंवार शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
9.	श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1.	संभागीय आयुक्त (शासन सचिव, वित्त विभाग, राज्य सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई, सदस्य प्रबंध बोर्ड के पहली बार बैठक में सम्मिलित होने पर विशेष आभार एवं स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

en	fooj.k	vuHkkx@foHkkx

मद सं. 1 प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8.01.2010 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । **शैक्षणिक–I**

उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (68) शैक्षणिक–**I**/मदसविवि/ 2010/ 3490–3501 दिनांक 10.02.10 को प्रेषित की गई ।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 2 दिनांक 8.01.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 68वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(परिशिष्ठ–I)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **दिनांक 8.01.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 68वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन किया गया।**

मद सं. 3 विद्या परिषद् की दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न 44 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– II)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **विद्या परिषद् की दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न 44 वीं बैठक के कार्यवृत्त का निम्न प्रेक्षणों के साथ अनुमोदन किया गया :**

1. **मद सं0 4 के निर्णय संख्या 9 जो महाविद्यालयों में नियमित प्रवेश की अंतिम तिथि में शिथिलता से संबंधित है में गोपनीय अनुभाग को निर्देशित किया जावे कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम हर हाल में दिसम्बर तक घोषित किये जावें अन्यथा संबंधित की जवाबदेही निर्धारित की जावेगी।** **शैक्षणिक–II**
2. **मद सं0 4 के निर्णय सं0 11 जो बी.एड. कॉलेजों की संबद्धता वृद्धि से संबंधित है पर प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि वर्ष 2010–11 की संबद्धता वृद्धि उन्हीं महाविद्यालयों को दी जावे जो निर्धारित नियमों एवं शर्तों की पालना करते हों। नियमों एवं शर्तों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों को इस बाबत नोटिस दिये जावें।** **शैक्षणिक–II**
3. **मद सं0 6 जो अंग्रेजी उपाधि रूपांतरण से संबंधित है में निर्णय किया गया कि अंग्रेजी उपाधि रूपांतरण उन्हीं विद्यार्थियों को प्रदान किया जावे जिन्हें हिन्दी उपाधि प्रदान की जा चुकी हो। अब तक दी गयी उपाधियों की पुष्टि की** उपाधि

	जाती है।	**शैक्षणिक–II**
	4. मद सं0 8 के निर्णय को अस्वीकार किया गया।	**संस्थापन**
	5. मद सं0 11 जो प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निदेशक, शारीरिक शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्णित योग्यताओं को यू.जी.सी. द्वारा तैयार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अंगीकृत एवं मान्य करने संबंधी है को यू.जी.सी. द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाने के उपरांत ही अंगीकृत करने का निर्णय किया गया।	
मद सं. 4	वित्त समिति की दिनांक 16.03.2010 को सम्पन्न 28वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– III)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**वित्त समिति की दिनांक 16.03.2010 को सम्पन्न 28वीं बैठक के कार्यवृत्त के निर्णय सं0 10 को अस्वीकार करते हुए शेष कार्यवृत अनुमोदित किया गया। साथ ही एस.एफ.एस. के बजट को विश्वविद्यालय बजट का एक भाग बताते हुए संपूर्ण बजट एक साथ बनाने हेतु निर्देशित किया गया।**	
मद सं. 5	भवन निर्माण समिति की दिनांक 23.02.2010 को सम्पन्न 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– IV)**	अभियंता कार्यालय
निर्णय	**भवन निर्माण समिति की दिनांक 23.02.2010 को सम्पन्न 40वीं बैठक के कार्यवृत्त का निम्न प्रेक्षणों के साथ स्वीकार किया :** **1. मद सं0 2 के निर्णय सं0 10 (1) में शिक्षक अतिथिगृह के प्रथम तल पर भंडारगृह के निर्माण के स्थान पर भंडारगृह भूतल पर बनाया जाने तथा इस बाबत पुनः एस्टीमेट प्राप्त किये जाने तथा प्रथम तल पर आवास एवं सुविधा संबंधी कार्य किये जाने का निर्णय किया गया।** **2. मद सं0 2 के निर्णय सं0 10(2) में अतिथिगृह के वाहन पार्किंग शेड के रू. 19.55 लाख के एस्टीमेट के स्थान पर कम लागत का, पुनः तकमीना प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।** **3. वि0वि0 परिसर में जहां कंक्रीट, पत्थर नहीं है अर्थात भूमि समतल है, वहां सीमेंट, कंक्रीट व पत्थर नहीं लगाये जावें तथा भूमि पर पेड़–पौध रोपण कर भूमि को हरियाली से आच्छादित किया जावे ताकि विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं वि0वि0 निर्माण में सौंदर्यबोध प्रदर्शित हो।** **वि0वि0 में एनर्जी पार्क की स्थापना के लिये प्रबंध बोर्ड ने दोनों माननीय विधायकों को अधिकृत किया। वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर एनर्जी पार्क की स्थापना के प्रयास करेंगे।**	
मद सं. 6	स्पोर्टस बोर्ड की दिनांक 12.05.2010 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– V)**	**स्पोर्टस बोर्ड**
निर्णय	**स्पोर्टस बोर्ड की दिनांक 12.05.2010 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त**	

का निम्न प्रेक्षणों के साथ अनुमोदन किया :

1. **निर्णय सं0 1 – विश्वविद्यालय में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकतानुसार कोच/खेल प्रशिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जावे। महिला खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए बी.पी.एड. योग्यताधारी महिला अभ्यर्थी को भी पात्र माना जावे।**
2. **पटल पर प्रस्तुत मद सं0 1 के निर्णय को स्पोर्टस बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय होने के कारण अस्वीकार किया एवं टेनिस प्रतियोगिता 2009–10 दिनांक 2 से 7 जनवरी, 2010 के दौरान की गयी टेंट व्यवस्था की क्रय व आपूर्ति आदेश प्रक्रिया में कमियां होने, व प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण भुगतान में हो रही कठिनाईयों पर विचार कर निर्णय करने हेतु एक कमेटी गठित की गयी जिसकी अनुशंषा प्रबंध बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जावेंगी। कमेटी के सदस्य निम्नानुसार हैं:**

1. **प्रोफेसर पी.एस.वर्मा, प्रबंध बोर्ड सदस्य संयोजक**
2. **श्री एम.एल.पीतलिया, प्रबंध बोर्ड सदस्य, सदस्य**
3. **वित्त नियंत्रक, मदसविवि, अजमेर सदस्य सचिव**

मद सं. 7 विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु प्रो0 माहना समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों की अनुशंषाओं में Guest Faculty के विश्वविद्यालय में कालांश लेने हेतु आने पर रूपये 50/– Conveyance Charges देय किए जाने का प्रावधान था जो प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 4.07.2009 प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा रखे गए नियमों में यह प्रावधान टंकित होने से छूट गया था। अतः अब इन नियमों के नियम 6 Teaching Faculty में A- Guest Faculty के Sub Para-For UG and PG Teaching में Guest Faculty बाबत् पैरा के अंत में निम्नांकित पंक्ति जोड़ा जाना प्रस्तावित है :– "The Guest Faculty will be paid Rs.50/-per day of visit as conveyance charges." **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।**

मद सं. 8 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:–** **शैक्षणिक–I**

(1) **<u>प्रतिवेदन है कि,</u>** प्रबंध बोर्ड के निर्णय संख्या 27 दिनांक 27.11.2009 के क्रम मे विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 (3) (क) (ख) के संबंध मे विश्वविद्यालय के अध्यादेश बनाये जाने हेतु प्रारूपण के कार्य के लिए प्रो0 जे.पी. व्यास. जयपुर के निवेदन पर उन्हें सप्ताह मे कम से कम चार दिन अजमेर मे रूककर कार्य सम्पादित करने के स्थान पर सप्ताह में तीन दिन रूककर कार्य करने तथा अध्यादेश के प्रारूपण के कार्य की अवधि दो माह के अतिरिक्त ड़ेढ माह की अवधि और बढ़ाये जाने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किये। इस हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 13 ( ) शैक्षणिक–**I**/ मदसविवि/ 2010/ 7663 दिनांक 13.03.2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ– VI)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(2) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>**, विश्वविद्यालय के अधिनियम की **शैक्षणिक–I**

धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2008–09 की स्वीकृति हेतु आदेश प्रदान किये । **(परिशिष्ठ– VII)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(3) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>**, विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने 1 अप्रेल, 2010 से 31 मई, 2010 तक (2 माह) के लिए लेखानुदान (On Account Budget) की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6(57) विवले–I/बजट/मदसविवि/2009–10/8240 दिनांक 26.03.2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ– VIII)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(4) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>**, वित्त समिति की संस्तुति संख्या 08 दिनांक 16.03.2010 द्वारा अनुशंषित स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया है । तद्नुसार, कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले–I/एसएफएस/मदसविवि/2009 –10/8287–309 दिनांक 26.03.2010 जारी किया गया ।**(परिशिष्ठ–IX)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(5) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>**, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 12 (4) एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 20.03.2010 द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किए जाने के क्रम में विश्वविद्यालय के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अनुरूप 35 प्रतिशत महंगाई राहत देय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/पेंशन/मदसविवि/2010/9140–98 दिनांक 08.04.2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–X)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(6) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>**, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (1) एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 20.03.2010 के अनुरूप विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों, जो विश्वविद्यालय के पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को देय महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01.01.2010 से 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किए जाने के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (41) विवले/मदसविवि/2009/8596–657 दिनांक 31.03.2010 जारी किया गया । **(परिशिष्ठ–XI)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **पुष्टि की गयी**

(7) **<u>प्रतिवेदन है कि,</u>** प्रो0 एस.के.माहना, विजिटिंग प्रोफेसर को **संस्थापन**

दिनांक 19.08.2009 से निःशुल्क आवास की सुविधा विश्वविद्यालय परिसर के आवास संख्या पी–6 में दिए जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/2010/9248 दिनांक 09.04.2009 **(परिशिष्ट–XIII)** जारी किया गया ।

निर्णय **पुष्टि की गयी**

(8) **<u>प्रतिवेदन है कि,</u>** प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 10 दिनांक 04.07.2009 द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के बिन्दु संख्या (b)(i) के आधार पर म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1998 के नियम संख्या 11 (1) में दिनांक 01.09.2008 से अंशदान की दर, राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित करके कटौती किए जाने के निर्णय के उपरान्त वित्त समिति की दिनांक 16.03.2010 की बैठक के मद संख्या 2 में वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 09.01.2009 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट पर निर्णय संख्या 6 (ग) पर किए गए प्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स) डिवीजन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1) एफ.डी. (रूल्स) 08 दिनांक 09.11. 2009 के द्वारा जी.पी.एफ. अंशदान की मासिक कटौती की संशोधित दरें दिनांक 01.04.2010 से विश्वविद्यालय में प्रभावी करने के निमित्त माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान की है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले–II (पीएफ) / मदसविवि/2009–10/9448–5115 दिनांक 15.04.2010 **(परिशिष्ट–XIV)** जारी किया गया है । **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **पुष्टि की गयी**

¼9½ ifronu g fd– 247 अभ्यर्थियों को उनकी मूल उपाधि/प्रमाण पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने कारण अध्यादेश 158 के अन्तर्गत उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की संस्तुति के आधार पर उपाधि प्रतिलिपि जारी करने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किएA **(परिशिष्ट–XVIII)** **उपाधि**

निर्णय **पुष्टि की गयी**

¼10½ ifronu g fd– प्रबंध बोर्ड की निर्णय सं0 19 दिनांक 13. 10.2008 जिसमें एलोपैथिक चिकित्सक एवं वैद्य की व्यवस्था करने और उन्हें उपर्युक्त मानदेय दिये जाने हेतु कुलपति महोदय को प्रबंध बोर्ड ने अधिकृत किया था, की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डा0 अशोक गुप्ता 172/3, गोखले मार्ग, स्टेट बैंक कॉलोनी के पास, अजमेर को विश्वविद्यालय में अंशकालीन आधार पर 06 माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, कार्यग्रहण करने की तिथि से फिजिशियन नियुक्त किया गया है। डा0 अशोक गुप्ता एवं कम्पाउन्डर ने दिनांक 23.11. **संस्थापन**

2010 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। डा0 अशोक गुप्ता को 4,000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय 1,000/– रूपये कम्पाउन्डर हेतु एक वाहन भत्ता राशि 500/– रूपये प्रतिमाह देना निर्धारित किया गया है। इनकी सेवाऐं प्रतिदिन एक घण्टे के लिए विश्वविद्यालय को उपलब्ध रहती है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2010/2152 दिनांक 23.01.2010 जारी किया गया। ¼ ifjf'k"B& XVIII-A)

निर्णय **पुष्टि की गयी**

(11) **प्रतिवेदन है कि**, विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अध्यादेश 157–**A**–3, **6 (B)(IV)** में संशोधन हेतु आदेश प्रदान किये। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.13( )शैक्ष.।/मदसविवि/2010/14632–15031 दिनांक 25.05.2010 जारी किया गया। **(परिशिष्ठ–XVIII B)** **शैक्षणिक–।**

निर्णय **पुष्टि की गयी**

मद सं. 9 विश्वविद्यालय के टेबुलेशन रजिस्टर में हेराफेरी की शिकायत के आधार पर दिनांक 03.04.1998 को पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 42/98 दर्ज करके भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 430, 467, 471 एवं 477 में विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारी श्री राजकुमार कोची को गिरफ्तार करने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश 357C-1(c) के प्रावधानानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 1998/1295/दिनांक 06.05.1998 द्वारा श्री कोची को निलम्बनाधीन रखा गया है । उक्त कोची तब से निलम्बित हैं । उनके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं है । अतः दर्ज मुकदमे में जो भी निर्णय हो, उस निर्णय के प्रभावशील होने की शर्त के साथ श्री कोची को बहाल किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **प्रकरण में मुकदमे की वस्तुस्थिति को अगली बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।**

मद सं. 10 श्री कन्हैया लाल भूपार्य, सेवानिवृत्त सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 16.04.2009 से रू. 9000/– प्रतिमाह की समेकित राशि पर 6 माह की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी। यह अवधि दिनांक 15.10.2009 को समाप्त हो चुकी है । श्री भूपार्य वर्तमान में विश्वविद्यालय की भूमि के सीमांकन से सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं । अतः इनकी नियुक्ति की अवधि 16.10.2009 से समेकित राशि पर प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय तक बढ़ाये जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **श्री कन्हैया लाल भूपार्य, सेवानिवृत्त सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति अवधि दिनांक 26.05.2010 तक बढ़ाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।**

मद सं 11 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक प. 1 (3) शिक्षा–4/2010 दिनांक 24.02.2010, जिसके अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो **संस्थापन**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित योग्यताधारी तथा सेवानिवृत्त व्याख्याता गैस्ट फैकल्टी के रुप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें रु0 250/– मात्र प्रति कालांश (45 मिनिट) की दर से कार्य पर रखे जाने की राज्य सरकार की सहमति और इस शर्त पर विचार करना कि प्रति कालांश अध्यापन के लिए रखे गए गैस्ट फैकल्टी को एक दिन में अधिकतम तीन कालांश तथा एक माह में अधिकतम 50 कालांश का अध्यापन कार्य दिया जा सकेगा, विचार करना ।

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**

मद सं 12 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य की सेवाएँ विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैलो/विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किए जाने के प्रयोजन से समान मानने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रंस्ताव स्वीकार किया गया।**

मद सं. 13 वित्त समिति की संस्तुति संख्या 2 दिनांक 05.03.2007, जिसे प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय संख्या 5 दिनांक 08.05.2007 द्वारा स्वीकृत किया था, के अनुसार वित्त एवं लेखा अनुभाग में सेवानिवृत्त आशुलिपिक श्री पी.सी. गोयल को रू. 5,000/– प्रतिमाह समेकित राशि के मानदेय पर 31 दिसम्बर, 2008 तक रखा गया था । श्री गोयल की सेवाएँ अनुभाग में 1 जनवरी, 2009 से 31 अगस्त, 2009 तक भी ली, किन्तु कार्यालय आदेश जारी नहीं कराए जा सकें । अतः दिनांक 01.01.2009 से 31.08.2009 तक की अवधि के लिए इनकी सेवाएँ स्वीकृत करने पर विचार करना । **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**

मद सं. 14 विश्वविद्यालय के बजट, फाइनेंसियल एण्ड अकाउंट्स रुल्स, 1997 के नियम 237 के प्रावधानान्तर्गत नियम 238 के अनुसार Discretionary Fund की स्थापना पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XII)** **वित्त एवं लेखा**

निर्णय **विश्वविद्यालय के बजट, फाइनेंसियल एण्ड अकाउंट्स रुल्स, 1997 के नियम 237 के प्रावधानान्तर्गत नियम 238 के अनुसार Discretionary Fund की स्थापना का प्रस्ताव निरस्त किया गया परंतु शैक्षणिक एवं शोध तथा सेमिनार कार्यों हेतु कुलपति महोदय को रू0 150000/– तक की स्वीकृति विवेकाधीन करने हेतु दी गयी जिसका अनुमोदन प्रबंध बोर्ड द्वारा कर दिया जावेगा। अब तक इस मद में किये गये व्यय की पुष्टि की गयी।**

मद सं. 15 विश्वविद्यालय में नर्सरी स्तर तक का Campus School स्थापित किए जाने पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **विश्वविद्यालय में नर्सरी स्तर तक का Campus School स्थापित किए जाने हेतु प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि उक्त स्कूल ट्रस्ट के माध्यम से सेल्फ फाइनेंस से विश्वविद्यालय परिसर में स्थित रिक्त आवासों में चलाया जावेगा।**

en l0 16 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग में निर्धारित मूल वेतन के 50 प्रतिशत की राशि "ओवरटाईम अलाउन्स" के रुप में दिए जाने की, कर्मचारियों की माँग पर प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 24 दिनांक 08.01.2010 द्वारा गठित प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों की समिति की दिनांक 26.04.2010 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त **(परिशिष्ठ–XV)** पर विचार करना । lLFkkiu

fu.k; dk;Zo`Rr **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XV)** dk vuqeksnu fd;k x;kA

en l0 17 विश्वविद्यालय के शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष प्रबन्ध समिति की दिनांक 30 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि समिति ने शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के नियम 2–''m)s';'' में अंकित प्रावधान कि ''izcU/k cksMZ dh iwoZ vuqefr ls bl dks"k dk mi;ksx f'k{kdksa ds lkekU; fgrksa ds fy;s Hkh fd;k tk ldsxk'' के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष की राशि से शिक्षक सदन का शीघ्र निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया एवं इस हेतु प्रबन्ध बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है। 'k{kf.kd&**II**

इस सम्बन्ध में लेख है कि शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष में शिक्षक सदन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में विश्वविद्यालय के बजट मद 4202–न्यू वर्क्स ऑफ 2007–08 (डी) में रू. 30.00 लाख का प्रावधान किया गया था। इसके निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी कार्यालय आदेश क्रमांकः 2687 दिनांक 28.03.2009 के द्वारा भवन निर्माण समिति की अनुशंसा सं. 22.5 (ड) दिनांक 20.05.2008 के अनुसार दी गई थी। किन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। तत्पश्चात् भवन निर्माण समिति के उक्त निर्णय सं. 22.5 (ड) में प्रेक्षण पर किये गये निर्णय के अनुसार रू. 30.00 लाख की राशि का प्रावधान 2010–2011 में भी किया गया है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष प्रबन्ध नियमों के नियम सं. 4 (ख) (3) में शिक्षक सदन के निर्माण हेतु केवल 10 प्रतिशत राशि के उपयोग का ही प्रावधान है। फलतः अंशदान की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग ही शिक्षक सदन के निर्माण हेतु किया जा सकता है। वर्तमान में इस कोष में रू. 12188898/– मात्र उपलब्ध है जिसकी 10 प्रतिशत राशि रू. 1218889/– शिक्षक सदन के निर्माण हेतु उपयोग में ली जा सकती है।

अतः अंशदान की नियत राशि के अनुपातिक उपयोग के सम्बन्ध में कोष के नियम सं. 4 (ख) जो कि निम्नानुसार है, में कोष प्रबन्ध समिति की शिक्षक सदन के निर्माण की अनुशंसा के आधार पर, शिक्षक सदन के निर्माण के लिये समुचित वित्तीय प्रावधान हेतु नियत प्रतिशत में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है

v'knku fu;e l- 4 ¼[k½

1. 80 प्रतिशत राशि का उपयोग शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष हेतु ।
2. 10 प्रतिशत राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के प्रकाशन बोर्ड के कार्य हेतु ।
3. 10 प्रतिशत राशि का उपयोग शिक्षक सदन निर्माण हेतु ।

fu.k; v'knku fu;e l- 4 ¼[k½ esa fuEukuqlkj la'kks/ku fd;k x;k ½

1- 70 izfr'kr jkf'k dk mi;ksx f'k{kd va'knk;h dY;k.k dks"k gsrq A
2- 05 izfr'kr jkf'k fo'ofo|ky; ds izdk'ku cksMZ ds dk;Z gsrq A
3. **25 प्रतिशत राशि का उपयोग शिक्षक सदन निर्माण हेतु ।**

मद सं. 18 राज्य सरकार के वित्त विभाग की आईडी संख्या 2627/वित्त व्यय–2/07 दिनांक 22.12.2007 की सहमति से सामान्य प्रशासन ग्रुप–3 विभाग, राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव द्वारा जारी आज्ञा क्र.प. 5 (31) सा.प्र./3/82 दिनांक 29.01.2008 के आधार पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के आवास पर दूरभाष की सुविधा के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो. के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.05.2010 के कार्यवृत्त **(परिशिष्ठ–XVI)**पर विचार करना । lkekU; i'kklu

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 19 म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम की धारा 5 (d) के प्रावधानान्तर्गत Algae Biofuel and Biomolecules Centre (ABBC) अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के प्रस्ताव **(परिशिष्ठ–XVII)** पर विचार करना । l{e thofoKku

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 20 विश्वविद्यालय के बजट वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 156 में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून,2008 के मद संख्या 14 में संशोधन करते हुए S.P.C.की संस्तुतियां कुलसचिव को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था । वर्तमान में नियंत्रण अधिकारी को ही उपक्रय समिति की संस्तुतियां अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होगी, पर विचार करना । lkekU; i'kklu

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 21 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 8 जनवरी, 2010 के निर्णय सं. 17 के तहत् समबद्ध महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तो का 'k{kf.kd&II

उल्लंघन करने अथवा पालना नहीं करने पर महाविद्यालयों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड लगाये जाने के विद्या परिषद की 42 वीं बैठक दिनांक 10 जून 2009 के कार्यवृत्त के मद सं. 13 की सस्तुति को स्वीकार किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

''बकाया सम्बद्धता शुल्क व विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराने पर सत्र 2009–10 से पूर्व वर्षो की कुल बकाया राशि दिनांक 31 दिसम्बर,, 2009 तक मय बकाया राशि के 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा सत्र 2010–2011 की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।''

उक्त निर्णय में अंकित निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर,, 2009 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय से पूर्व ही समाप्त हो चुकी है, अतः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष उक्त अन्तिम तिथि के स्थान पर संशोधित नवीन तिथि के निर्धारण हेतु विचार करना ।

निर्णय **प्रबंध बोर्ड ने संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा पालना नहीं करने पर महाविद्यालयों को सत्र 2010–2011 की संबद्धता समाप्त करने हेतु नोटिस भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।**

महाविद्यालयों से प्राप्त विकास शुल्क की राशि को वर्ष 2010 में महाविद्यालयों को भिजवाने का निर्णय किया गया।

मद सं. 22 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 10 तथा निर्णय निम्नानुसार है– **संस्थापन**

मद– विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्क्ष द्वारा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पुस्तकालयाध्क्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्क्ष के पदो को भरने एवं पुस्तकालय हेतु आवश्य स्टाफ की आवश्यकता बाबत् दिनांक 20.11.2009 को दिये गये प्रतिवेदन **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना।

निर्णय–आवश्यकतानुसार प्राथमिकता बताते हुए तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया ।

उक्त निर्णय के क्रम मे पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक मदसविवि/लिब/संस्था/497 दि. 24.05.2010 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवेदन पर विचार करना **(परिशिष्ठ–XIX)**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 23 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 22 तथा निर्णय निम्नानुसार है– lkekU; i:'kklu

मद– विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय वर्दी अलाउन्स रू0 910/–प्रति कार्मिक ठण्डी वर्दी के लिए प्रति वर्ष और गर्म वर्दी के लिए दो वर्ष में एक बार सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । कर्मचारियों की मांग कि वर्दी अलाउन्स की उक्त राशि में 50 प्रतिशत वृद्वि की जाए, पर विचार करना ।

निर्णय–राज्य सरकार से उनके यहॉ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे मे जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार

हेतु प्रस्तुत करें ।
उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के दरे क्रमशः रूपये 726/–एवं 1176/–रूपये है **(परिशिष्ठ–XX)**
सहायक कर्मचारियों की ठण्डी एवं गर्म वर्दी के अलाउन्स में वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 24 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 23 तथा निर्णय निम्नानुसार है– lkekU; i:'kklu

मद–विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय जूता अलाउन्स की राशि रूपये 234/– प्रति कर्मचारी, सेण्डल अलाउन्स राशि रूपये 110.50 प्रंति महिला कर्मचारी , मोजा अलाउन्स रूपये 32.50 प्रति कर्मचारी, धुलाई भत्ता 59/– रूपये प्रति माह और मशीन मैन को एप्रिन एलाउन्स रूपये 300/– प्रति वर्ष सत्र 2002 – 03 से दिया जा रहा है ।
इन राशियों मे कर्मचारियों की मांग की 50 प्रतिशत की वृद्वि की जाये, पर विचार करना ।
निर्णय– राज्य सरकार से उनके यहॉ पर दिए जा रहें उक्त अलाउन्स की राशि के बारे में जानकारी की जावें एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें । उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वहां सहायक कर्मचारियों की सेण्डिल एवं जूतो की दरे क्रमशः रूपये 220/– एवं 330/–रूपये है **(परिशिष्ठ–XXI)**
सहायक कर्मचारियों के उक्त अलाउन्स मे वृद्वि पर विचार करना ।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 25 प्रबन्ध बोर्ड की 69 वीं बैठक दिनांक 26.05.2010 की मद संख्या **4** में प्रस्तुत वित्त समिति की बैठक दिनांक 16मार्च, 2010 के कार्यवृत्त की संस्तुति संख्या 7 में वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट प्राक्कलो पर विचार करते समय बजट मद 216 मे ग्राण्ट–इन–एड स्टेट नॉन प्लान मे राशि रूपये जीरो (0) के स्थान पर रूपये 340.00 लाख का प्रावधान, वित्त विभाग के व्यय प्रथम के प्रेषण क्रमांक एफ 4(17) एफ.डी./एक्सपे.–1/2009 द्वारा प्रेषित दिनांक 6.11. 2009/16.11.2009 की बी.एफ.सी. की अनुशंषाओं **(परिशिष्ठ–XXII)** के आधार पर करना । **वित्त एवं लेखा**
:

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।**

मद सं. 26 निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई,2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।**(परिशिष्ठ–XXIII)** **शैक्षणिक&II**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 27 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 29 मार्च 2010 के मद सं.05 एवं **शोध/ परीक्षा**

निर्णय निम्नानुसार है :–
विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 के निर्णय संख्या 05 के क्रम मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009) के दिशा –निर्दशो के अनुरूप नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन के संयोजकत्व मे गठित समिति के कार्यवृत पर विचार कर अनमोदन करना । **(परिशिष्ठ–10)**
निर्णय : विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 के निर्णय संख्या 05 के क्रम मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनिमय 2009) के दिशा –निर्देशों के अनुरूप नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन के संयोजकत्व मे गठित समिति के कार्यवृत पर विचार कर विद्या परिषद् की ओर से अनुमोदन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।
उपरोक्त निर्णय के क्रम मे एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि के लिए नियम **(परिशिष्ठ–XXIV)** पर विचार करना ।

निर्णय– **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 के निर्णय संख्या 05 के क्रम मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनिमय 2009) के दिशा –निर्देशों के अनुरूप नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन के संयोजकत्व मे गठित समिति के कार्यवृत की अनुशंषा के अनुसार अध्यादेश का अनुमोदन किया गया एवं एम. फिल./पी.एच.डी. की परीक्षा की पद्धति एवं कार्य योजना के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद सं. 28 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 का मद सं.12 एवं निर्णय निम्नानुसार है:– **शैक्षणिक– I**
विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून,2009 के मद सं. 03 के निर्णयानुसार विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 की कार्यसूची में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया गया था:–
1. संकायाध्यक्ष कॉलेज
2. संकायाध्यक्ष विधि
3. प्रो0 के.एल.शर्मा

समिति की संस्तुतियॉ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार
उक्त समिति की दिनांक 18.08.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत **(परिशिष्ठ–19)** पर विचार करना ।
निर्णय– प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की ।
उपरोक्त निर्णय के क्रम मे समिति की संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत है **(परिशिष्ठ–XXV)**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं0 29 प्रबन्ध बोर्ड की निम्नांकित निर्णय सं. 10 दिनांक 07 अक्टूबर, 2006, **परीक्षा**

के क्रम में वर्ष 2003 के पुनर्मूल्यांकन में हुई हेराफेरी के प्रकरण में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनका छात्रवार विवरण परीक्षा अनुभाग द्वारा कुलसचिव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। उक्त छात्रों के संबंध में प्रस्तावित की गई कार्यवाही (कार्यसूची का **परिशिष्ठ XXVI**)विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 5 (ञ) एवं अध्यादेश 169(H)के संदर्भ में किये जाने पर विचार करना।

''निर्णय सं. 10

प्रबन्ध बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूचना को अभिलेखित किया। निर्णय किया कि –

(1) इस हेराफेरी प्रकरण से वास्तव में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनकी उपाधियाँ जारी नहीं की जावे और उनके परीक्षा परिणामों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(2) प्रकरण में कुलपति महोदय विभागीय जांच उपयुक्त जांच अधिकारी/जांच समिति के माध्यम से कराएं जो यह सुनिश्चत करे कि अंकों में की गई हेराफेरी किस स्तर पर की गई है और इस प्रकार की हेराफेरी के लिए कौन–कौन व्यक्ति दोषी है? जांच की प्रक्रिया में आवश्यक हो तो कम्प्यूटर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जावे।

(3) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केंद्र में उपयुक्त स्टाफ और संसाधन होने के कारण परीक्षा परिणाम संबंधी संपूर्ण कार्य विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर स्टॉफ द्वारा पूर्व की भांति कराया जावे। यदि संबंधित स्टॉफ में से कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसकी असमर्थता को कार्य के प्रति अकर्मण्यता और संदिग्धनिष्ठा मानते हुए विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जावे।''

निर्णय **पुनर्मूल्यांकन, 2003 में हुई हेराफेरी प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण अगली बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया। तब तक वर्ष 2005 एवं 2006 की उपाधियों को वस्तुस्थिति देखकर संबद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 30 **संस्थापन**

प्रबन्ध बोर्ड की 68वीं बैठक दि0 08.01.10 के निर्णय सं0 6 के क्रम में राज्य सरकार एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में की गई सेवा की गणना पेंशन लाभ के लिए किए जाने हेतु प्राप्त सेवानिवृत कार्मिकों के अभ्यावेदनों पर विचार कर संस्स्तुतियॉ देने हेतु प्रो0 रमाकान्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दि0 26.05.10 के कार्यवृत पर विचार करना **(परिशिष्ठ xxvii)**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड की 68वीं बैठक दिनांक 08.01.2010 के मद सं0 6 की अनुपालना में प्रो0 रमाकान्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.05.2010 की अनुशंषाओं को अनुमोदित किया**

गया। अनुशंषाओं के क्रियान्वयन में अगर कोई नियम संबंधी कठिनाई हो तो निराकरण हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जावे ।

उपरोक्त के अलावा निम्न निर्णय भी किये गये :

1. विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में संघटक कॉलेज संचालित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। **शैक्षणिक–I**
2. विश्वविद्यालय में एकेडेमिक व रिसर्च क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय को नये आयाम देने हेतु एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें भूतपूर्व कुलपति जैसे प्रो0 वी.आर.मेहता, प्रबंध बोर्ड के सदस्य प्रो0 रमाकांत, प्रो0 पी.एस.वर्मा, जाने माने शिक्षाविद् को सम्मिलित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया। समिति की रिपोर्ट तीन–चार माह में प्रस्तुत की जावे । **निदेशक–शोध**
3. सर्वसम्मति से प्रबंध बोर्ड में यह निर्णय किया गया कि प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यों में से किसी सदस्य को विश्वविद्यालय द्वारा गठित किसी अन्य समिति में सदस्य मनोनीत किया जाता है तो प्रबंध बोर्ड के सदस्य को ऐसी समिति की बैठक में भाग लेने पर सिटिंग चार्जेज रू0 500/– दिये जावें। विद्या परिषद की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सिटिंग चार्जेज के रूप में रू0 250/– प्रदान किये जावें। **शैक्षणिक–I**

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

कुलसचिव